न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2020 (2020/00135) दर्ज दिनांक 25.06.2020

अपील 75 एल0आर0एक्ट

संशोधित शीर्षक

1. श्रीमति मांगी बाई सुथार पत्नि बंशीलाल सुथार निवासी भरक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच भरक जरिये ग्राम पंचायत भरक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा एवं उपपंजियक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। (आदेश – 1 नियम – 10 जा0दी0)

–रेस्पोडेन्ट्स

वकिल अपीलान्टः– श्री सुनिल बापना
पेरोकार सरकार

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 951 दिनांक 31.12.2019, ग्राम पंचायतत भरक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 04.01.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि बैरून हल्के आबादी ग्राम ग्राम भरक पटवार हल्का भरक, तहसील सहाड़ा में स्थित साबिक आराजी संख्य 1358 रकबा 0.04 हे0, आराजी संख्या 1359/2 रकबा 0.13 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.17 हे0 भूमि खातेदारान् भंवरलाल, चन्द्रसिंह, विनोद कुमार, अशोक कुमार, नरेन्द्र कुमार, चंचलदेवी पिता स्वर्गीय मोहनलाल कोठारी (महाजन) के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। उक्त वर्णित आराजी सं0 1358 रकबा 0.04 हे0 में से पूर्व खातेदारान् भंवरलाल, चन्द्रसिंह, अशोककुमार, नरेन्द्रकुमार व चंचलदेवी पिता स्वर्गीय मोहनलाल कोठारी का 5/16 हिस्सा व आराजी सं0 1359/2 रकाब 0.13 हे0 में से 3/4 हिस्सा अपीलांट ने बिल एवज 44000/– अक्षरे चवांलीस हजार रूपये में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 08.02.2019 को खातेदारान् से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। प्रमाण में विक्रय पत्र की फोटोप्रति साथ पेश है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:42 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

उक्तानुसार पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर अपीलांट द्वारा खरीदसुदा भूमियों का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवाने हेतु पटवारी हल्का भरक के समक्ष विकय पत्र की प्रति पेश की। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 951 भरा गया एवं उसमें लिखा गया कि " मुताबिक रजि0 विकय पत्र अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर उचित आदेशार्थ पेश है" जिस पर भू0 अ0 नि0 द्वारा जांच कर लिखा गया" जांच की मुताबिक विकय पत्र अनुसार अंकन सही है" उक्त जांच रिपोर्ट के बाद नामान्तरकरण संख्या 951 पर सरपंच ग्राम पंचायत भरक द्वारा गलत रूप से यह लिखा गया कि " उक्त विकय पत्र में रास्ते की रजिस्ट्री भी हो चुकी है जांच की उक्त रास्ते पर सड़क बनी हुई है और रास्ता सार्वजनिक है अतः खारिज किया जाता है" और उक्त आधार पर ग्राम पंचायत भरक द्वारा दिनांक 05.02.2020 को नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया जो खिलाफ कानून एवं वाकेयात के सरासर विपरीत है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से अपील पेश की है।

सरपंच ग्राम पंचायत भरक द्वारा अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण फैसल नहीं कर खारिज करने में कानूनन भूल की है। अपीलांट ने पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर आराजियात कय की और जमाबंदी में आराजी संख्या 1358 रकबा 0.04 हे0 गे0मु0 रास्ते के रूप में पूर्व खातेदारान् के नाम दर्ज थी, उक्त रास्ता खेतों में आने –जाने के काम आता है जिसको अपीलांट ने कभी भी बंद नहीं किया है और उक्त आराजी भविष्य में भी रास्ते के रूप में ही अपीलांट के खाते में राजस्व रेकार्ड में दर्ज रहेगी, केवल मात्र उक्त भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है इस आधार पर ग्राम पंचायत ने अपीलांट के नाम नामान्तरकरण नहीं खोलकर कानूनन भूल की है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार से परे जाकर नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया जो गलत है।

अपीलांट एक सद्भावी केता है जिसने पंजीकृत विकय पत्र से आराजी कय की है इसलिये अपील वर्णित आराजियात का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम पर खुलना चाहिये था जो नहीं खोल ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण निरस्त कर दिया जिससे अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की नौबत आई।

अतः सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भरक द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावें एवं अपील वर्णित आराजियात् का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दिनांक 25.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रा0 पत्र आदेश–1 नियम–10 जा0दी0 का पेश कर तहसीलदार एवं उपपंजीयक सहाड़ा को पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 10 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार एवं उपपंजीयक सहाड़ा को पक्षकार बन[illegible] जा[illegible] है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इसके विरूद्ध [illegible] दिये जाते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उपस्थित जवाब के पर्याप्त [illegible] भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बंद की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:42 IST
Reason: SelfAttested

2.

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

उभयपक्ष बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित बिन्दुओं को दोहराया एवं उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भरक द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाने एवं अपील वर्णित आराजियात् का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम खोले जाने का आदेश प्रदान करवाने बाबत् निवेदन किया।

मेरे द्वारा उक्तानुसार विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भरक द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना उचित है। अतः

:: आदेश ::

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भरक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.12.2019 बाबत् नामान्तरण संख्या 951 ग्राम भरक को निरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। एंव तहसीलदार सहाड़ा को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि निर्णय में वर्णित आब्जर्वेशन एवं दस्तावेज के अवलोकन में परिक्षण कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामांतरण दर्ज करना सुनिश्चित् करें।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0) 3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:42 IST
Reason: SelfAttested